MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall
High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate

Secretary
PARITOSH TRIVEDI
Advocate

Senior Vice President
Amit Jain
[redacted]

Vice President
Prashant Avasthi
[redacted]

Joint Secretary
Yogesh Soni
Advocate
[redacted]

Treasurer
Rajendra Pratap Singh
Advocate
[redacted]

Library In-Charge
Rajneesh Upadhyay
Advocate
[redacted]

Executive Member
Manoj Kushwaha
[redacted]

Smt. Sapna Tiwari
[redacted]

Vinod Mishra
[redacted]

Garima Tiwari
[redacted]

Ravindra Pratap Singh
[redacted]

Priyank Chansoria
[redacted]

Smita Kehri
[redacted]

Ref. No. 826/25.... Date: 26/11/25

प्रति,

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर

विषयः— उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ जबलपुर की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 26/11/2025 की सूचना।

महोदय,

म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ पिछले लगभग 6 माह से लगातार आपसे संपर्क कर मौखिक एवं लिखित रूप से अधिवक्ताओं को प्रकरणों की सुनवाई को लेकर, लिस्टिंग समस्या को लेकर एवं रोस्टर को लेकर आ रही समस्याओं से अवगत कराती रही है।

जो ज्वलंत समस्यायें आपके समक्ष रखी गई हैं निम्नलिखित हैं:—

(1) पूर्व में न्यायालय परिसर में कोर्ट स्लिप हेतु ड्राप बॉक्स रखे गये थे, अधिवक्तागण उसमें टेंटेटिव डेट में केस लिस्ट करने हेतु कोर्ट स्लिप डालते थे, केस उस दिनांक लॉक होकर लिस्ट होता था। ड्राप बॉक्स सुविधा बंद होने से अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

(2) नॉट रीच केसेस को लेकर अभी तक कोई भी स्पष्ट निति निर्धारित नहीं हो सकी है, प्रकरण एडर्जन होने के बाद दोबारा लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट स्लिप के फिक्स डेट केस भी लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं।

(3) वर्तमान में उच्च न्यायालय में पॉच डिवीजन बेंच चल रही हैं, लंच के उपरांत यदि जजेस को बेल मेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिये जायें तो दिसंबर विंटर वेकेशन के पूर्व लंबित जमानत प्रकरणों में काफी कमी आ जायेगी।

(4) वर्तमान में 482 Cr.P.C./ 528 B.N.S.S. के फ्रेश केस भी लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लगातार निवेदन किया जा रहा है कि इसकी पृथक बेंच होना चाहिए, बेल रोस्टर के साथ इन प्रकरणों की सुनवाई संभव नहीं हो सकती है।

(5) एक महत्वपूर्ण विषय आपके संज्ञान में लाना अति आवश्यक है, अधिवक्ताओं को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिलीफ ओरिऐंटेड जजेस को महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई के रोस्टर से वंचित किया जा रहा है या उनके रोस्टर में अनावश्यक परिवर्तन किया जा रहा है, इससे रिलीफ ओरिऐंटेड जजेस की ईमानदारी व निष्ठा पर अनावश्यक प्रश्न चिन्ह लगता है।

Received.

MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall
High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: [redacted]

Secretary
PARITOSH TRIVEDI
Advocate

Senior Vice President
Amit Jain
Advocate
[redacted]

Vice President
Prashant Avasthi
[redacted]

Joint Secretary
Yogesh Soni
[redacted]

Treasurer
Rajendra Pratap Singh
[redacted]

Library In-Charge
Rajneesh Upadhyay
[redacted]

Executive Member
Manoj Kushwaha
[redacted]

Smt. Sapna Tiwari
[redacted]

Vinod Mishra
[redacted]

Garima Tiwari
[redacted]

Ravindra Pratap Singh
[redacted]

Priyank Chansoria
[redacted]

Smita Kehri
[redacted]

Ref. No. 826/25 **Date:** 26/11/25

(6) कन्टेम्प्ट मेटर्स में यह आदेश किया गया है कि रिट पिटीशन के ऑर्डर में मेंशन सभी प्रकरणों की प्रति कंटेम्प्ट केस के साथ फाइल की जावे, इससे अधिवक्ताओं को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

(7) माननीय न्यायाधिपतिगणों के आपस के मतभेद या आरोप–प्रत्यारोप किसी न किसी माध्यम से अधिवक्ताओं के बीच प्रचारित कर उच्च न्यायालय की गरिमामयी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया जा रहा है जो अत्यंत अनुचित है।

माननीय महोदय इन सभी विषयों पर उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन संघ के समक्ष प्रस्तुत कर सामान्य आहूत कर न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का निवेदन किया है। **आगामी सोमवार 01/12/2025 को संघ ने सामान्य सभा आहूत की है।**

आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं पर तत्काल विचार कर समाधान करने की कृपा करें, जिससे सामान्य सभा में अधिवक्ताओं को सूचित किया जा सके।

धन्यवाद